



कार्यालय मुख्य आयुक्त
Office of the Chief Commissioner
सीजीएसटी एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (जयपुर परिक्षेत्र), जयपुर
CGST & Central Excise (Jaipur Zone), Jaipur
(कैडर कन्ट्रोल यूनिट)

स्थापना आदेश संख्या : सी.सी.यू.- CCU - 56/2025

एसएससी सीजीएलई, 2024 के माध्यम से केन्द्रीय सचिवालय सेवा (सीएसएस) में सहायक अनुभाग अधिकारी (एसओ) के पद पर चयन के परिणामस्वरूप, श्री पुनीत कुमार, निरीक्षक (समूह 'बी' - गैर राजपत्रित), सीजीएसटी आयुक्तालय, जोधपुर द्वारा दिनांक 01.07.2025 को दिया गया तकनीकी त्यागपत्र को 25.07.2025 से स्वीकार किया जाता है।

Consequent upon selection to the post of Assistant Section Officer (ASO) in the Central Secretariat Service (CSS) through SSC CGLE, 2024, the **Technical Resignation** dated 01.07.2025 tendered by Shri Punit Kumar, Inspector (Group 'B' - Non Gazetted), CGST Commissionerate, Jodhpur is hereby accepted **w.e.f. 25.07.2025**.

चूंकि अधिकारी ने परिवीक्षा अवधि पूरी नहीं की है और इस विभाग में निरीक्षक के पद पर स्थायी नहीं हुए हैं, इसलिए निरीक्षक ग्रेड में विभाग में उनका कोई ग्रहणाधिकार नहीं रहेगा।

As the officer has not completed the probation period and has not been confirmed in this department on the post of Inspector, therefore, he will not retain any lien in the department in grade of Inspector.

यह आदेश नियुक्ति प्राधिकारी की संस्वीकृति से जारी किया जा रहा है।
This order issues with the approval of the Appointing Authority.

(अनुपमा सक्सेना)
सहायक आयुक्त

प्रतिलिपि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है-

1. निजी प्रति- श्री पुनीत कुमार, निरीक्षक, सी.जी.एस.टी. एवं के. उ. शु. आयुक्तालय, जोधपुर।
2. अपर आयुक्त (का. एवं सत.), सी.जी.एस.टी. एवं के. उ. शु. आयुक्तालय, जोधपुर को उनके कार्यालय के पत्र सं. F. No. II(03)TFR/91/2025-ADMN/4959 दिनांक 21.07.2025 के संदर्भ में प्रेषित कर लेख है कि श्री पुनीत कुमार, निरीक्षक को कार्यभार मुक्त करने से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि उनके विरुद्ध कोई सरकारी / विभागीय देयता एवं सतर्कता / असतर्कता सम्बन्धी प्रकरण इत्यादि लम्बित नहीं है। तत्पश्चात श्री पुनीत कुमार, निरीक्षक को कार्यभार मुक्त कर इस कार्यालय को कार्यभारमुक्ति आदेश की प्रति प्रेषित करें।
3. प्रधान आयुक्त/ आयुक्त, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय, जयपुर/अलवर/उदयपुर/जोधपुर/अंकेक्षण जयपुर /अंकेक्षण जोधपुर/ अपीलस, जयपुर/अपीलस, जोधपुर/सीमा शुल्क आयुक्तालय, मुख्या.-जयपुर।
4. वेतन एवं लेखाधिकारी, अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क, जयपुर।
5. अधीक्षक (प्रशा./सत.), मुख्य आयुक्त कार्यालय, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क जोन, जयपुर।
6. वेबमास्टर, सी.जी.एस.टी. एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. गार्ड फाईल/ निजी पत्रावली/ सेवा पुस्तिका/ संबंधित एसोसियेशन/ सूचना पट्ट।